



(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू  
सरकार जारिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम संजय कुमार पुनिया पुत्र श्री जगदीश चन्द्र  
किस्म मुकदमा FSSA Act 2006 नं. 20 सन 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.05.2022	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एव सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.06.2022 को पेश हो।</p>	
28.06.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा पेश जबाब प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।</p> <p>अनावेदक/अभियुक्त का कथन है, कि उसने शॉप नम्बर 11 व 12 हवाई पट्टी, झुन्झुनू में मै0 संजय स्वीट्स एवं रेस्टोरेन्ट के नाम से मिठाई की दुकान कर रखी है जहां वह पेड़ा मिठाई (मावा मिठाई) बनाता है। अनावेदक ने बताया कि मिठाई को आपस में चिपकने से बचाने के लिए उसे रिफाइन्ड से चुपड़ा जाता है। इसके अलावा कोई मिलावट नहीं की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।</p> <p>हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./48/एक्ट/2022/88/दिनांक 13.01.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ पेड़ा मिठाई (मावा मिठाई) बाहरी पदार्थ 'फोरजन वसा' (Foreign Fat) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 कान्हा स्वीट में पनीर स्वयं तैयार करता है अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पेड़ा मिठाई (मावा मिठाई) के 'फोरजन वसा' (Foreign Fat) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री संजय कुमार पुनिया पुत्र श्री जगदीश चन्द्र, मै0 संजय</p>	<p>अति. जिला कलक्टर झुन्झुनू</p> 

अति. जिला कलक्टर  
झुन्झुनू

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>29.02</p>	<p>स्वीट्स एवं रेस्टोरेन्ट, शॉप नम्बर 11 व 12 हवाई पट्टी चौराहा, निवासी श्यामपुरा, झुंझुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 5000/- पांच हजार रुपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाबता दाखिल दफ़तर हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>अति. जिला कलेक्टर</b>  <b>झुंझुनू</b> </p>	<p>29.02.20</p>